न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 11/2010

प्रार्थी — बनाम — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी:

1. श्री रमेश पुत्र श्री डूंगाराम जाति पुरोहित निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री भंवर पुत्र श्री डूंगाराम जाति पुरोहित निवासी शिवगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती बादलीबाई वेवा श्री डूंगाराम जाति पुरोहित निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण:

1. सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा।
2. श्री जोगाराम पुत्र श्री हमीराराम जाति रेबारी निवासी शिवगढ़ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 005055 दिनांक 23.07.2005 वर्गफीट 3192 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रा[illegible]पत्र [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। [illegible] के अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्र[illegible] कुमार दवे जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी। प्रकरण मे दोनो पक्षो की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

संख्या 005055 दिनांक 23.07.2005 वर्गफीट 3192 जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल दायर संख्या 14/2002–03 दिनांक 28.02.2002 को दर्ज की गई है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या 14/2002–03 दिनांक 28.02.2002 दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि प्रार्थी की गांव शिवगढ़ पटवार हल्का कोजरा तहसील पिण्डवाडा में खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि राजस्व भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त खातेदारी कृषि भूमि को आबादी में बताते हुए ग्राम पंचायत कोजरा से अवैध रूप से किए हुए कब्जे का पट्टा प्राप्त करने के लिए दिनांक 22.02.2002 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायत कोजरा ने पचास वर्ष पुराना कब्जा व मकान न होते हुए भी अप्रार्थी संख्या दो दिनांक 23.07.2005 को कुल 3192 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया जो नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व खातेदारी भूमि की है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान 28.06.2010 को कराया एवं भूमि को समतल करने लगे तब अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा तब अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करना बताया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित पट्टा संख्या 005055 दिनांक 23.07.2005 वर्गफीट 3192 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या दो पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या दो को हैरान परेशान करने की नियम से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह कथन है कि विवादित भूमि प्रार्थी के गांव शिवगढ़ पटवार हल्का कोजरा तहसील पिण्डवाडा में खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि राजस्व भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त खातेदारी कृषि भूमि को आबादी में बताते हुए ग्राम पंचायत कोजरा से अवैध रूप से किए हुए कब्जे का पट्टा प्राप्त करने के लिए दिनांक 22.02.2002 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायत कोजरा ने पचास वर्ष पुराना कब्जा व मकान न होते हुए भी अप्रार्थी संख्या दो दिनांक 23.07.2005 को कुल 3192 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया जो नियम विरूद्ध है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व खातेदारी भूमि की है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि विवादित भूमि खातेदारी भूमि है एवं खातेदारी भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को 3192 वर्गफुट का पट्टा जारी किया हुआ है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ग्राम पंचायत को 2700 वर्गफुट तक ही पट्टा जारी करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kabra
Date: 2021.05.27 16:17:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अधिकार है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता यह साबित नहीं कर सके कि अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि का पट्टा प्रार्थी की खातेदारी भूमि का न होकर अप्रार्थी संख्या दो के कब्जे काश्त की भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 005055 दिनांक 23.07.2005 वर्गफीट 3192 मिसल दायर संख्या 14/2002–03 दिनांक 28.02.2002 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner